संख्याः3914 **/77-6-20-08(एम)/2012 टी.सी. 8 (कैबिनेट)**

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
कृषि/राजस्व/राज्य कर/आबकारी/श्रम/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन/उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप/ऊर्जा/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/आवास एवं शहरी नियोजन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/लोक निर्माण/नगर विकास/गृह/भूतत्व एवं खनिकर्म/आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स/सूचना एवं जनसम्पर्क/ नमामि गंगे/वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांकः** ।। **दिसम्बर, 2020**

विषयः सिंगल विण्डो पोर्टल 'निवेश मित्र' पर उपलब्ध करायी गयी ऑनलाईन सेवाओं में ऑफलाईन आवेदन/प्रोसेसिंग को कड़ाई से प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सिंगल विण्डो पोर्टल 'निवेश मित्र' को प्रदेश में दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये थे। शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2018 द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए सभी सम्बन्धित विभागों को दिनांक 01 जुलाई, 2018 से केवल सिंगल विण्डो पोर्टल 'निवेश मित्र' के माध्यम से ही समस्त औद्योगिक स्वीकृति, अनापत्ति, अनुमति इत्यादि के आवेदन आवश्यक रूप से प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये।

2- ईज ऑफ डूईंग बिज़नेस की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को की गयी जिसमें अन्य बिन्दुओं के साथ यह भी निर्णय लिया गया था कि सभी विभाग अविलम्ब शासनादेश जारी कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे कि जो सेवाएं ऑन लाइन उपलब्ध करा दी गयी है अथवा भविष्य में हो जाती है, उनके लिये ऑफ लाइन

Scanned with CamScanner

आवेदन लिया जाना बिना किसी अपवाद के प्रतिबन्धित होगा और यदि कोई विभागीय अधिकारी ऑफ लाइन आवेदन पत्र स्वीकार करता है तो उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

3- निवेश मित्र पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी ऑनलाईन सेवाओं के लिये आफलाइन आवेदन प्राप्त करने तथा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों की आफलाइन प्रोसेसिंग करने को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में शासन के स्पष्ट निर्देश होने के पश्चात् भी विभिन्न स्रोतों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अभी भी कतिपय विभागों द्वारा जिन सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है उनके लिये आफलाइन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं तथा कुछ मामलों में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में आवेदक से अभिलेखों की हार्डकॉपी कार्यालय में जमा करने के लिये कहा जा रहा है अथवा आवेदक को कार्यालयों में आने के लिये विवश किया जा रहा है। यह प्रक्रिया स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

4- प्रदेश में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिये प्रदेश सरकार इस बात के लिये बचनबद्ध है कि अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाय और उपलब्ध करायी गयी ऑनलाइन सेवाओं के लिये किसी भी दशा में न तो ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किया जाए और न ही ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों से अभिलेखों की हार्डकॉपी देने अथवा उनसे कार्यालय में सम्पर्क करने के लिये बुलाया जाए।

5- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभागीय अधिकारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट एवं कड़े निर्देश देने के लिये अविलम्ब शासनादेश निर्गत करायें कि जो भी सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाती हैं उनके स्टेबिलाईजेशन के लिये अधिकतम 03 माह का समय प्रदान किया जाए और 03 माह की अवधि बीतने के बाद किसी भी दशा में न तो कोई आफलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा और न ही ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिये आवेदकों को हार्डकॉपी देने के लिये विवश किया जाएगा और न ही उन्हें किसी भी अन्य कारण से कार्यालय में बुलाया जाएगा। शासनादेश में यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित अधिकारी

Scanned with CamScanner

के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

6- विभागीय स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव के स्तर पर प्राप्त इन निर्देशों के अनुपालन की प्रत्येक माह समीक्षा की जाए और निर्देशों के उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

7- कृपया उपरोक्त निर्देशों के क्रम में जारी किये गये अपने विभागीय शासनादेश की प्रति इन्वेस्ट यूपी को प्रत्येक दशा में 31 दिसम्बर, 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally signed by
राजेन्द्र कुमार तिवारी
Date:Wed Dec 09 14:21:18 IST 2020
Reason: Approved

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्याः 3915(1)/77-6-20-08(एम)/2012 टी.सी. 8 (कैबिनेट) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आलोक
(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner